553/15

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

सत्यमेव जयते

INDIA

A 865961

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

भूमि मूल्यांकन सूची – पेज नम्बर 108 वी कोड 0331 के अनुसार भूमि दर 47,00,000/–रू0 प्रतिहैक्टेयर

स्टाम्प का योग	–	1,20,000./– रू0
दस्तावेज का प्रकार	–	बैनामा कृषि
विक्रय मूल्य	–	17,11,000/– रू0 नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।
बाजारू कीमत	–	17,11,000/– रू0

शामिल मिसिल

तहसीलदार झाँसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 865980

कोषागार,

मुख्य कोषाधिकारी

(2)

मौजा	—	मैरी
ब्लाक	—	बड़ागांव
सम्पत्ति का प्रकार	—	कृषिभूमि
मापन की इकाई	—	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	—	0.364 हैक्टेयर
सड़क की स्थिति	—	उक्त आराजी किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग / फोर लाईन व किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है व आबादी से 200 मीटर से अधिक दूर स्थित है।
प्रथम पक्ष की संख्या	—	एक
द्वितीय पक्ष की संख्या	—	एक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू.20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 865958

कोषागार, झाँसी

(4)

सम्पत्ति का विवरण- आराजी भूमिधरी वाकै मौजा मैरी ब्लाक बड़ागांव परगना व जिला झाँसी की है जिसका खाता संख्या 00008 आराजी नम्बर 349 रकवा 0.061 है0 व आराजी नम्बर 350 रकवा 0.429 है0 व आराजी नम्बर 351 रकवा 0.040 है0 व आराजी नम्बर 358 रकवा 0.198 है0 कुल 4 किता रकवा 0.728 है0 का 1/2 भाग यानि रकवा 0.364 है0 अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को वय किया गया है वयशुदा आराजी मे विक्रेता का कोई भी अंश शेष नही रहा है उक्त आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं उक्त आराजी में कोई पेड़ व कूप आदि नहीं है आराजी मुवैया नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है उक्त आराजी कृषकीय भूमि है जो कृषि के लिए वय की जा रही है। दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रयशुदा नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 865957

गये है। जो बैनामा के अंश भाग है। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। उक्त आराजी लगान अदा करने वाली कृषिकीय भूमि है जिसका लगान 2 रूपया सालाना है उक्त आराजी विक्रेता की पैत्रिक सम्पत्ति है।

दस्तावेज हाजा मे उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0–5–462 / 11–2006–500 (92) / 2005 दिनांक 23 फरवरी 2006 के बाद आंशिक शासन अधिसूचना के क्रम मे दिनांक 30.06.2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 735328

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं।

यह कि मैं विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त आराजी का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है, न ही उक्त आराजी किसी जमानत, ऋण, डिग्री आदि मे मगफूल है चूंकि मुझ विक्रेता को निजि कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता है अतः मैं विक्रेता अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त को विक्रय करता हूँ। कब्जा दखल

नि० काशीराम

Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु.5000 Rs.5000
पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AY 735293
AY 735293
कोषागार, झाँसी
मुख्य कोषाधिकारी कोषाधिकारी

मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को वखूबी करा दिया है अधिकार क्रेता आराजी मुवैया खेती करे व अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावे, कागजात मालिकान में नाम दर्ज कागजात करावे बय हिवा रहिन करे गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करे आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा व मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा भविष्य में कभी होगा काश किसी कानूनी नुक्श की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा आदि का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता व मेरे वारिसान रहेगें । यदि विक्रेता या क्रेता द्वारा तहरीर शुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यो को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे

नि॰काशीराम

Shailendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 735294

कोषागार, झाँसी

मुख्य रोकड़िया कोषाधिकारी

फौजदारी, दीवानी,माल,राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादो का दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नही होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख मे मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है और विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नही है लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 735295

दिनांक : 22.01.2015

प्रारूपकर्ता : गौरव अग्रवाल वसीका नवीस, तहसील झाँसी

टाईपकर्ता : दीपक , तहसील झाँसी

गवाह (1)

गवाह (2)

गौरव अग्रवाल दस्तावेज लेखक
तहसील व जिला झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या 2
दिनांक..17.-3-201...तक विधिमान्य

नक्शा –नजरी

विक्रेता का नाम श्री काशी राम....

क्रेता का नाम श्री शैलेन्द्र यादव

मौजा मैरी.....

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर ३४६,३५०,३५१,

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समपत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

नि. काशीराम

हस्ताक्षर विक्रेता

शैलेन्द्र

SINGH THAKUR
ment Authority
LIC. No.-04

हस्ताक्षर क्रेता

नक्शा –नजरी

बिक्रेता का नाम.श्री.काशीराम....

क्रेता का नाम.श्री.शैलेन्द्र..

मौजा...बैरी.....

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर ३५८,

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समपत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

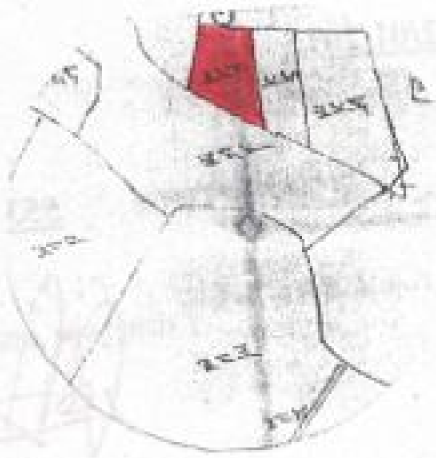

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

THAKUR

Authority

LIC. No.-04

राजकीय कोषागार, झाँसी
कोड संख्या-23
क्रमांक 35556 मूल्य 20000
नाम क्रेता 35553
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील जिला
दिनांक 21-1-15
रोकड़िया

क्रेता

Registration No. : 553 Year : 2,015 Book No. : 1

0201 शैलेन्द्र यादव

राकेश यादव

830/ए सी पी मिशन कम्पाउ तहसील व जिला झांसी

व्यापार

राजकीय कोषागार, झांसी।
कोड संख्या-23
क्रमांक 35555 मूल्य 200 ₹
नाम क्रेता 35553 से 5114
पिता, पत्नी
निवासी
तहसील जिला
दिनांक 21/1/15
रोकड़िया

विक्रेता

Registration No.: 553 Year : 2,015 Book No. : 1

0101 काशीराम

पुत्र ...
ग्राम मेरी तहसील व जिला झांसी
कृषि

राजकीय कोषागार, झांसी
कोड संख्या-23
क्रमांक 35514 मूल्य 20000
नाम क्रेता 35553 से 1174
पिता, पत्नी
निवास
तहसील जिला
दिनांक
21-1-15 रोकड़िया

विक्रय पत्र

1,711,000.00 /	1,711,000.00	10,000.00	20	10,020.00	700
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री शैलेन्द्र यादव
पुत्र श्री राकेश यादव
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी 130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/1/2015 समय 1:35PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाषचन्द्र मिश्रा
उप निबन्धक प्रथम
झांसी
22/1/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री काशीराम
पुत्र श्री गुपिन्दी
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी

क्रेता

श्री शैलेन्द्र यादव
पुत्र श्री राकेश यादव
पेशा व्यापार
निवासी 130/ए सी पी मिशन कम्पा तहसील व जिला झांसी

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री राजाभैया
पुत्र श्री काशीराम
पेशा कृषि
निवासी ग्राम मैरी तहसील व जिला झांसी
व श्री सत्यम कुमार
पुत्र श्री रामकृष्ण
पेशा व्यापार
निवासी साहनीविहार सीपरी बाजार तहसील व जिला झांसी
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।
निष्पादकों की पहचान यथाप्रलेख है

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाषचन्द्र मिश्रा
उप निबन्धक प्रथम
झांसी
22/1/2015

आज दिनांक 22/01/2015 को

बही सं 1 जिल्द सं 6025

पृष्ठ सं 103 से 124 पर क्रमांक 553

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाषचन्द्र मिश्रा

उप निबन्धक प्रथम

झाँसी

22/1/2015

न्यायालय तहसीलदार झाँसी
वाद सं० 309 / 13.14
आ० दि० 10/3/15

9/4/15